न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 203/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार रियांबडी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रियांबडी		1–रावता पुत्र नंदा (फौत) कौम रेगर निवासी रियांबडी के कायम मुकामान 2–पुरणमल पुत्र रावता (फौत) के कायम मुकामान 2/1–गोपाल राम पुत्र पुरणमल कौम रेगर निवासी रुम न. 54 व 55 चाल न. 8 ठक्कर बाणा कॉलोनी, जी.एस.टी. रोड चैम्बूर, मुंबई, 71 3–भींयाराम पुत्र रावता (फौत) के कायम मुकामान 3/1–विजयराज पुत्र भींयाराम कौम रेगर निवासी डुगांरिया रेगरो का बास बस स्टैण्ड के पास ग्राम पोस्ट रियां बडी 3/2–राजेश पुत्र भींयाराम कौम रेगर निवासी डुगांरिया रेगरो का बास बस स्टैण्ड के पास ग्राम पोस्ट रियां बडी 3/3–प्रकाश पुत्र भींयाराम कौम रेगर निवासी रुम न. 54 व 55 चाल न. 8 ठक्कर बाणा कॉलोनी, जी.एस.टी. रोड चैम्बूर, मुंबई, 71 4–चेतन पुत्र भींयाराम (फौत) के कायम मुकामान 4/1–सुनील पुत्र चेतन कौम रेगर निवासी रुम न. 54 व 55 चाल न. 8 ठक्कर बाणा कॉलोनी, जी.एस.टी. रोड चैम्बूर, मुंबई, 71 5–देवा पुत्र नंदा (फौत) कौम रेगर निवासी रियांबडी के कायम मुकामान 5/1–भागचंद पुत्र देवा (फौत) के कायम मुकामान 5/2–हरिशचंद पुत्र भागचंद कौम रेगर निवासी रुम न. 54 व 55 चाल न. 8 ठक्कर बाणा कॉलोनी, जी.एस.टी. रोड चैम्बूर, मुंबई, 71 5/3–प्रेमचंद पुत्र भागचंद कौम रेगर निवासी रुम न. 54 व 55 चाल न. 8 ठक्कर बाणा कॉलोनी, जी.एस.टी. रोड चैम्बूर, मुंबई, 71 5/4–दुर्गादास पुत्र भागचंद (फौत) के कायम मुकामान 5/4/1–हुक्मचंद पुत्र दुर्गादास कौम रेगर निवासी रुम न. 54 व 55 चाल न. 8 ठक्कर बाणा कॉलोनी, जी.एस.टी. रोड चैम्बूर, मुंबई, 71 5/4/2– मुरारीलाल पुत्र दुर्गादास कौम रेगर निवासी रुम न. 54 व 55 चाल न. 8 ठक्कर बाणा कॉलोनी, जी.एस.टी. रोड चैम्बूर, मुंबई, 71

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

कलक्टर, नागौर

निर्णय

दिनांक : 12/09/2019

प्रार्थी तहसीलदार रियांबडी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी रावता व नन्दा के फौत हो जाने पर उसके वारिसान को रेकर्ड पर लिया जाकर उनकी तलबी जारी की गई अप्रार्थी संख्या–2/1 गोपालराम व 5/4/1–हुक्मचंद की ओर से वकील श्री महावीर सिंह ने दिनांक 26.08.2019 को नो–इन्सट्रक्शन प्लीड किया, बकाया अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 20.05.19 व 20.06.19 अनुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा की एकतरफा बहस सुनी। राजपैरोकार ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा रियांबड़ी के साबिका खसरा नम्बर 1141, 1142 रकबा 27 बीघा भूमि अप्रार्थी रावता पुत्र नन्दा व देवा पुत्र नन्दा जाति रेगर निवासीगण रियांबड़ी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत आवंटन हुई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 669 ग्राम रियांबड़ी भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई। अप्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 1971 में आवंटित हुई थी एवं अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2031–2071 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पड़त के रूप में है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है, जो पटवारी हल्का रियांबड़ीं की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत् निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त फरमानें का निवेदन किया।

राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौजा रियांबड़ी के साबिका खसरा नम्बर 1141, 1142 मीन रकबा 27 बीघा भूमि (जिसे आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा) का अप्रार्थी रावता एवं देवा पुत्रगण नन्दा जाति रेगर निवासी रियांबड़ी को आवंटन करना बताया गया है, जो नामान्तकरण संख्या 669 की प्रति से साबित है। पटवारी रियांबड़ी व भू अभिलेख निरीक्षक की रूबरू मौतबिरान मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2015 के अनुसार अप्रार्थी रावता एवं देवा पुत्रगण नन्दा गैर खातेदार का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। खसरा गिरदावरी से भी अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काश्त नहीं होने की पुष्टि होती है। आवंटित भू खण्ड पर कब्जा काश्त नहीं करके आवंटन आदेश की शर्तों की खिलाफवर्जी की जाना प्रमाणित है। इस प्रकार समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा रियांबड़ी के साबिका खसरा नम्बर 1141, 1142 में से रकबा 27 बीघा भूमि का अप्रार्थी रावता एवं देवा पुत्रगण नन्दा जाति रेगर निवासी रियांबड़ी आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर भूमि सरकारी तहवील में लेने का आदेश किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:27:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: